

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain

(An autonomous organisation under Ministry of Education, Govt. of India)

प.सं. 34-1/2025 (शे.)/मसारावेविप्र/

दिनांक 03.07.2025

अधिसूचना/Notification - 1746

विषय :- अनुभवी स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट को वेद संबद्ध रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु वार्षिक रूप से संबद्धता हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं (प्रतिष्ठान द्वारा संस्था को कोई भी अनुदान, किराया, भवन व्यय आदि देय नहीं होगा /मानदेय देय नहीं होगा। सेल्फ फैनान्स रूप में ही संचालित करना होगा)।

Sub:- Online applications are invited for Annual Affiliation to experienced voluntary organizations, societies, and trusts for the purpose of conducting Veda related employment-oriented skill development training programmes (Pratishthan will NOT provide any grant, rent, building expenses etc. or pay any honorarium to the institution and these programmes must be conducted solely on a self-financing basis).

(अ) देश के विभिन्न राज्यों के सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एन.आई.ओ.एस./राज्य शिक्षा मण्डल अथवा अन्य किसी सरकारी बोर्ड के स्कूलों/विद्यालयों में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण (समकक्ष वेदभूषण-4 उत्तीर्ण/संस्कृत प्रथमा उत्तीर्ण) एवं अध्ययनरत अथवा 9वीं कक्षा में अध्ययनरत/ 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का अनुभव प्राप्त / 9वीं कक्षा उत्तीर्ण / प्रत्येक क्षेत्र में उस विषय का सामान्य ज्ञान, पठन एवं लेखन ज्ञान सिहत क्षेत्र में 5 (पाँच) वर्ष का अनुभव एवं छात्र की आयु 15 वर्ष अथवा अधिक (15 वर्ष निर्णय हेतु सरकारी जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, अन्य कोई भी प्रमाण नहीं होगा), को उन के इच्छा के अनुरूप वेदों से संबद्ध विषयों में जैसे; (पौरोहित्य, वास्तु-शास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र, वैदिक-गणित, वैदिक-संस्कार, मन्दिर-प्रबन्धन, वेद-शास्त्र-प्रवचन, स्मार्त-यज्ञ, श्रोत-यज्ञ, योग-प्रशिक्षण, आयुर्वेद एवं वनौषिध) के रोजगारन्मुखी पाठ्यक्रम सञ्चालित करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कौशल-विकास एवं उद्यमिता कौशल अन्तर्गत 2.5 स्तर (9वीं स्तर) का प्रशिक्षण एवं उत्तीर्ण होने पर प्रमाण पत्र प्रदान करने की स्वीकृति प्रतिष्ठान को प्रदान की गई है। प्रतिष्ठान द्वारा सञ्चालित किए जाने वाले कौशल पाठ्यक्रम को महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से भी मान्यता प्राप्त है। लिखित परीक्षा, प्रायोगिक कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रतिष्ठान द्वारा कौशल अन्तर्गत 2.5 स्तर (9वीं स्तर) प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

The National Council for Vocational Education and Training (NCVET) has authorized the Pratishthan to conduct 2.5 level (9th level) training in Skill Development and Entrepreneurship, leading to certification upon successful completion. This authorization enables the Pratishthan to offer employment-oriented courses in subjects related to Vedas—viz., Pourohitya, Vastushastra, Jyotisha Shastra, Vedic Maths, Vedic Sanskar, Temple Management, Veda Shastra Pravachan, Smarta Yajna, Shrauta Yajna, Yoga Prashikshan, and Ayurveda Evam Vanaushadhi.

Students from schools under CBSE, ICSE, NIOS, State Education Boards or other Government Board schools who have passed 8th Std (equivalent of Veda Bhushan 4th Std pass or Sanskrit Prathama pass) and continuing or studying in 9th Std/8th Std pass with one year experience in related field/9th Std pass/5 years' experience in the relevant field and possessing general knowledge and knowledge of reading

Page **1** of **9**

& writing, and are of 15 years of age (for determining age, only Govt. birth certificate will be considered) are eligible for admission to these courses. The skill courses conducted by the Pratishthan are also recognized by Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board. Students who pass the written examination and practical skill test will be awarded 2.5 level (9th level) certificate by the Pratishthan.

(1). जो व्यक्ति समाज में पूजा, पौरोहित्य, पूजा-अर्चना, यज्ञ अथवा मंदिरों में पूजा के कार्य करते हैं, इस हेतु कोई 5 (पांच) वर्ष अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे जिन की आयु 01-01-2025 को 15 वर्ष से अधिक है (15 वर्ष निर्णय हेतु सरकारी जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, अन्य कोई भी प्रमाण नहीं होगा), वे भी किसी संबद्धता प्राप्त करनेवाली संस्था के अधीन प्रशिक्षण में भाग ले सकेंगे, वेद, पौरोहित्य, पूजा-अर्चना, यज्ञ, वैदिक-संस्कार, मन्दिर-प्रबन्धन, वेद-शास्त्र-प्रवचन, ज्योतिष, वास्तु में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, लेखन एवं प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन को कौशल विकास योजना के अन्तर्गत 2.5 स्तर का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

Individuals above 15 years of age as on 01-01-2025 (for determining age only Government Birth Certificate will be considered) and are possessing five years' experience in performing Puja, Pourohitya, Puja-archana, Yajna, or other puja works in temples are eligible to participate in training programmes in Vedas, Pourohitya, Puja-Archana, Yajna, Vedic Rituals, Temple Management, Veda-Shastra-Pravachan, Jyotisha, Vastu etc. through any affiliated institution. The participants will be awarded a level 2.5 certificate under the Skill Development Yojana on successfully passing written and practical examinations.

(2) परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में सफल होने पर प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

Certificate will be given on passing the examination and practical tests.

अनुभवी स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट की आवश्यक अनिवार्य योग्यता- नियम Rules regarding essential qualification of experienced voluntary Organization/Society/Trust

1. स्वैच्छिक संगठनों/सोसायिटयों/ट्रस्टों को सोसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम अथवा ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा आवेदन की दिनांक पर पंजीकरण वैध होना चाहिए। नीति आयोग का दर्पण पोर्टल संख्या अनिवार्य है। संस्था का PAN एवं ट्रस्टियों का आधार उल्लेख करना होगा।

Voluntary organizations/societies/trusts must be registered under the Societies' Registration Act or Trust Act and the registration should be valid on the date of application. NITI Aayog Darpan Portal Number is mandatory. PAN of the organization and Aadhaar of trustees must be mentioned.

2. सरकारी नियमानुसार FCRA/CSR गतिविधि के लिए अनुमित होने पर प्रतिष्ठान की ओर से कोई आपित्त नहीं है। किन्तु आवेदन में FCRA/CSR संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है।

The Pratishthan has no objection if engaged in FCRA/CSR activities with permission and in accordance with government rules. However, it is mandatory to mention the FCRA/CSR number in the application.

3. संस्थाएं किसी भी आर्थिक कदाचार (under IT Act etc.) एवं अन्य आपराधिक गतिविधि में लिप्त न हों।
The Organization should not be involved in any financial misconduct (under IT Act etc.) and other criminal activities.

4. भारत के विविध राज्यों में रजिस्टर्ड स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट के लिए ही मान्य है। भारत से बाहर (विदेश में रजिस्टर्ड) की संस्थाओं के लिए स्वीकृति नहीं है। उन पर विचार नहीं होगा।

Applicable only to voluntary organizations/societies/trusts duly registered in various states of India. Organizations or institutions registered outside India (foreign countries) are not eligible and will not be considered.

- 5. वेद, पौरोहित्य, पूजा अर्चना, यज्ञ, वैदिक-संस्कार आदि वैदिक परम्परा में अटूट विश्वास रखने वाले, वैदिक शिक्षा में आस्था एवं सनातन धार्मिक प्रवृत्ति रखने वाले स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट ही आवेदन कर सकेंगे।
 Only voluntary organizations/societies/trusts having unwavering faith in Vedic traditions such as Pourohitya, Puja-archana, Yajna, and Vedic sanskaras etc., along with a commitment to Vedic education and Sanatan Dharma, are eligible to apply.
- 6. वैदिक परम्परा में विश्वास नहीं रखने वाली व्यक्ति के द्वारा संचलित संस्थाओं के लिए इस पाठ्यक्रम में स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
 Only Institutions that adhere to the Vedic tradition will be given the permission to offer this course.
- 7. (अ) पिछले तीन वर्षों से अथवा उस से अधिक वेद, पौरोहित्य, पूजा-अर्चना, यज्ञ, वैदिक-संस्कार, मन्दिर-प्रबन्धन, वेद-शास्त्र-प्रवचन, ज्योतिष, वास्तु, योग विषयों में सफल एवं परिणामकारी प्रशिक्षण प्रदान कर रहें हों, तथा इन उद्देश्यों हेतु संस्थापित संस्थाएं ही उन के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों के हस्ताक्षर से आवेदन कर सकेंगी। अथवा (आ) वेद, पौरोहित्य, पूजा-अर्चना, मंदिर, पूजा ,पुरोहितों के हितों की योजनाएं, ज्योतिष, वास्तु के क्षेत्र में तीन अथवा अधिक वर्षों से कार्य अनुभव पर नोटरैस्ड अफिडेविट प्रस्तुत कर सचिव एवं अध्यक्ष दोनों के हस्ताक्षर से आवेदन कर सकेंगी।

Institutions or organizations are eligible to apply for affiliation if they meet either of the following criteria; (a) They have been successfully and demonstrably imparting training in Vedas, Pourohitya, Puja-archna, Yajna, Vedic Sanskar, Temple Management, Veda Shastra Pravachan, Jyotisha, Vastu, Yoga related subjects for a minimum of three years and are specifically established for these purposes. Applications under this criterion require the signatures of both the Secretary and the Chairman; OR (b) Institutions actively engaged in the fields of Vedas, Pourohitya, Puja-archna, Mandir, Puja, schemes for the benefit of Pourohits, Jyotisha, and Vastu for three or detailing their work experience for the specified period, with the signatures of both the Secretary and the Chairman.

8. (अ) पिछले 3 वर्षों के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रदत्त आडिट प्रमाण-पत्र संलग्न करना अपेक्षित है अथवा (आ) वेद, पौरोहित्य, पूजा-अर्चना, मंदिर, पूजा, पुरोहितों को वेद-प्रशिक्षण, शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की योजनाएं संचालित करने में, ज्योतिष, वास्तु के क्षेत्र में तीन अथवा अधिक वर्षों का कार्य अनुभव पर नोटरैस्ड अफिडेविट संलग्न करना होगा।

Applicants must enclose either (a) an audit certificate issued by a Chartered Accountant for the last three years <u>OR</u> (b) a notarized affidavit attesting to three or more years of work experience in the fields of Vedas, Pourohitya, Puja-archna, Mandir, Puja, Veda-training for Pourohits, operating schemes for educational and economic benefits, Jyotisha, or Vastu.

(अ) स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट के पास स्वयं के पास (स्वयं का अथवा लीस पर) न्यूनतम 2 प्रशिक्षण कक्ष, प्रोजेक्टर अथवा बड़ा एल.ई.डी. टेलिविजन -1, न्यूनतम-1 यज्ञ शाला कक्ष-यज्ञ कुण्ड सिहत हो, पूजा विधान, ज्योतिष, वास्तु आदि वैदिक विद्या संबद्ध 50 पुस्तकें हों, भगवद्गीता, श्रीविष्णु सहस्रनाम, हनूमान चालीसा, श्री वाल्मीिक रामायण, रामचिरत मानस, विविध आरती, 20 संस्कृत स्तोत्र पुस्तक हों एवं 50 संस्कृत भाषा प्रशिक्षण पुस्तक हों तथा प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक बेच के 30-35 प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवास (न्यूनतम 6-8 कमरें), सात्त्विक एवं शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार करने के लिए व्यवस्था एवं अल्पाहार एवं भोजन करने हेतु भोजन हाल (50X50) की व्यवस्था पर्याप्त हो। अथवा (आ) प्रशिक्षण के समय व्याख्यान (लेकचर) हॉल, कक्ष एवं मंदिर आदि में जगह तथा प्रशिक्षण स्थान एवं अध्ययन सामग्री तथा पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु किसी प्रतिष्ठित मंदिर /संगठन का लेटर हेड पर नोटरैज्ड आश्वासन पत्र होना आवश्यक है। प्रतिष्ठित मंदिर /संस्था में व्यवस्था प्राप्त होने पर किसी भी तरह का किराया, व्यय प्रतिपूर्ति आदि प्रतिष्ठान द्वारा नहीं देय होगा।

9.

Voluntary organizations/societies/trusts must have (either owned or leased) a minimum of 02 training rooms, one projector or big LED television, a minimum of 01 Yajna Shala room with Yajna Kund. Further, it should also have 50 books related to Vedic knowledge like Puja Vidhi, Jyotisha, Vastu etc., along with the copies of Shrimad Bhagwad Gita, Shri Vishnu Sahasranama, Hanuman Chalisa, Shri Valmiki Ramayana, Ramcharit Manas, various aartis, 20 Sanskrit stotra books and 50 Sanskrit language training books. Additionally, accommodation with a minimum of six to eight rooms for 30-35 trainees per batch, arrangements for preparing satvik and pure vegetarian food, and an adequately sized dining hall (50x50) for alpahar and bhojan are mandatory. OR (b) A notarized letter of assurance from a reputed temple/organization on their official letterhead is mandatory. This letter must confirm the provision of space for lecture halls, rooms and temples, place for training, study materials, and books at the time of training. Please note that no reimbursement of rent or expense of any kind will be provided by the Pratishthan for arrangements made with these reputed temples or institutions.

10. स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट की ओर से स्वयं के प्रतिविषय सूचीबद्ध योग्य शिक्षित 1-1 प्रशिक्षक हों/ प्रशिक्षक की नहीं होने की स्थिति में प्रतिष्ठान द्वारा कोई प्रशिक्षक दिया जायेगा, जिसका सम्मानजनक मानदेय संस्था एवं प्रशिक्षक के सहमित से निर्णीत होगा। प्रतिष्ठान द्वारा प्रशिक्षकों को आगे का विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस शिक्षण हेतु प्रतिष्ठान कार्यालय में बुलाए जाने पर कोई टी.ए./डी.ए. प्रदेय नहीं होगा, जिसमें उनकी उच्चारण में शुद्धता एवं उच्च गुणवत्ता पूर्वक मानक रखकर उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षक रूप में स्वीकृति होगी। उच्च गुणवत्ता धारी प्रशिक्षक नहीं होने पर अलग अलग विषयों में प्रशिक्षण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

Voluntary organizations/societies/trusts must have one qualified trainer in each subject. In case a trainer is not available, the Pratishthan will provide one, with a respectable honorarium to be mutually agreed upon by the organization and the trainer. The Pratishthan will provide further special training to the trainers. Please note that no TA/DA will be provided for attending this training at the Pratishthan office. Trainers will be accepted only after demonstration of correct pronunciation and meeting high-quality standards. Approval for training in various subjects will not be granted in the absence of high-quality trainers.

- 11. प्रशिक्षक का मानदेय देने का उत्तरदायित्व स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट का रहेगा। किसी भी परिस्थिति में प्रतिष्ठान द्वारा कोई भी अनुदान/मानदेय प्रदेय नहीं होगा।
 - The responsibility of paying honorarium to the trainer will be of the voluntary organizations/societies/trusts. No grant/honorarium will be given by the Pratishthan under any circumstances.
- 12. स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट को संबद्धता हेतु एक वर्ष का संबद्धता शुल्क (संबद्धता शुल्क+GST) भरना होगा। एक बार, एक वर्ष से अधिक संबद्धता नहीं दी जायेगी। (कौशल विकास प्रशिक्षण की मान्यता 23 जून, 2026 तक ही है)।
 - Voluntary organizations/societies/trusts will have to pay one year affiliation fee (affiliation fee + GST) for affiliation. Affiliation will not be given for more than one year at a time. (Validation of skill development training is only till June 23, 2026).
- 13. प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित वेद विद्यालय/अनुदानित सोसाईटी/ अनुदानित ट्रस्ट अथवा अनुदानित वेद गुरु इकाई को इस अधिसूचना के अन्तर्गत मान्यता किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जा सकेगी। यदि अनुदानित पाठशाला/अनुदानित इकाइ द्वारा आवेदन कर दिया जाता है, तो प्रतिष्ठान द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी एवं पाठशाला/इकाइ पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
 - Under this notification, <u>NO</u> recognition will be given under any circumstances to Veda Vidyalaya/Society/ Trust or Veda Guru Unit financially aided by the Pratishthan. If a financially aided Pathshala/ financially aided GSP Unit applies, then recognition will not be granted by the Pratishthan and strict action will be taken against the Pathshala/GSP Unit as per rules.
- 14. प्रतिष्ठान द्वारा संस्था को कोई भी अनुदान, किराया, भवन व्यय आदि देय नहीं होगा। /मानदेय देय नहीं होगा। No grant, rent, building expenses, honorarium etc. will be payable to the institution by the Pratishthan.

अनुभवी स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षणीय छात्रों की योग्यता

Eligibility of students to be trained by experienced voluntary Organisations/Societies/Trusts

देश के विभिन्न राज्यों के सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एन.आई.ओ.एस./राज्य शिक्षा मण्डल अथवा अन्य किसी सरकारी बोर्ड के स्कूलों/विद्यालयों में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण (समकक्ष वेदभूषण-4 उत्तीर्ण/संस्कृत प्रथमा उत्तीर्ण) एवं अध्ययनरत अथवा 9वीं कक्षा में अध्ययनरत 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का अनुभव प्राप्त / 9वीं कक्षा उत्तीर्ण / प्रत्येक क्षेत्र में उस विषय का सामान्य ज्ञान, पठन एवं लेखन ज्ञान सिंहत क्षेत्र में 5 (पांच) वर्ष का अनुभव एवं छात्र की आयु 15 वर्ष अथवा अधिक है, वे कौशल विकास एवं उद्यमिता के रोजगारन्मुखी 11 विषयों की संलग्न सूची में से अपनी रुचि अनुसार अधिकतम कोई दो विषयों का चयन कर अनुभवी स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा दिये जानेवाले प्रशिक्षण में निर्दिष्ट शुल्क जमा कर अध्ययन कर सकते हैं।

Students from schools under CBSE, ICSE, NIOS, State Education Boards or other Government Board schools who have passed 8th Std (equivalent of Veda Bhushan 4th Std pass or Sanskrit Prathama pass) and continuing or studying in 9th Std/8th Std pass with one year experience in related field/9th Std pass/ 5 years' experience in the relevant field and possessing general knowledge and knowledge of reading & writing, and are of 15 years of age (for determining age, only Govt. birth certificate will be considered), may select a maximum of two subjects as per their interest from the enclosed list of 11 employment oriented subjects of Skill Development and Entrepreneurship courses. Upon payment of

Page 5 of 9

the specified fee, they may undertake training imparted by experienced voluntary organizations, societies, or trusts.

इस पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण में परीक्षा में सिम्मिलित होने वाले छात्रों को वर्तमान में अथवा भविष्य में किसी भी प्रकार का मानदेय, छात्रवृत्ति छात्रों को अथवा संस्था को अनुदान प्रतिष्ठान द्वारा प्रदेय नहीं होगा।

छात्रों द्वारा चयनित वैदिक कौशल विकास एवं उद्यमिता विषय की वार्षिक लिखित एवं प्रायोगिक कौशल परीक्षा महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा पाठ्यक्रम अनुसार आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक विषय वार्षिक परीक्षा हेतु संबद्ध सोसाईटी/ट्रस्ट द्वारा अलग से प्रत्येक छात्र की परीक्षा (लिखित परीक्षा, प्रायोगिक कौशल परीक्षा) शुल्क (रु.500 के साथ) आनलाइन आवेदन जमा करना होगा, सम्भवतः माह मार्च 2026 में आयोजित की जाएगी।

Students taking the training examination for this course, along with their respective institutions or organizations, will not receive any honorarium, scholarship, or grant from the Pratishthan, either now or in the future.

The annual written and practical skill examination for the Vedic Skill Development and Entrepreneurship subject will be conducted by Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan according to the prescribed syllabus. For each subject's annual examination, the affiliated society or trust must submit an online application along with a ₹500 examination fee (covering both written and practical skill exams) for each student individually. The tentative examination month is March 2026.

संबद्धता हेतु संस्था में सुविधा एवं योग्यता हेतु निरीक्षण किया जायेगा तथा योग्य पाये जाने पर ही संबद्धता, मात्र एक वर्ष के लिए दी जायेगी।

Affiliation will be granted only after inspection of the facilities available with the Institution and eligibility. If found satisfactory, affiliation will be given for one year only.

अनुभवी स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट से निवेदन

Request from experienced voluntary Organizations/Societies/Trusts

स्वैच्छिक संगठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट जो भी इन शतों (1 से 14) को स्वीकार कर कौशल विकास एवं उद्यमिता के कुल 11 विषयों में से विषय-सूची एवं पाठ्यक्रम संलग्न अनुसार देश के विभिन्न राज्यों के सी.बी.एस.ई. /आई.सी.एस.ई. /एन.आई.ओ.एस./राज्य शिक्षा मण्डल अथवा अन्य किसी बोर्ड के स्कूलों/विद्यालयों छात्रों (प्रत्येक छात्र को अधिकतम उनकी रुचि अनुसार कोई दो विषयों में) को प्रशिक्षण आयोजित करने शैक्षिक एवं मूलभूत सुविधाएं- सामर्थ्य रखतें हों वे अनुभवी स्वैच्छिक गठनों/सोसाईटी/ट्रस्ट दिनांक 15-07-2025 शाम 5.00 बजे तक आवेदन कर सकेंगी।

Voluntary organizations/societies/trusts who accept these conditions (1 to 14) and have the educational and basic facilities to organize training for students (each student in maximum two subjects as per their interest) of schools/Vidyalayas of CBSE/ICSE/NIOS/State Education Boards or any other board in different states of the country, out of the total 11 subjects of skill development and entrepreneurship course as per the enclosed table of subjects and syllabus, may apply till 15-07-2025 by 5.00 pm.

संस्थाएं अपनी अपनी व्यवस्था के अनुरूप, गुणवत्ता को ध्यान में रखकर, विविध विषय में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षणार्थियों से प्रवेश शुल्क ले सकेंगी। The Institutions are permitted to charge admission fees from trainees for providing instruction in various subjects, in accordance with their established systems/norms, while maintaining high quality standards.

कौशल विकास एवं उद्यमिता पाठ्यक्रम के कुल 11 विषयों में से अपने रुचि अनुसार कोई <u>दो विषयों</u> के चयन के लिए विषय-सूची एवं पाठ्यक्रम संलग्न हैं।

The table of contents and syllabus are enclosed to facilitate the selection of any <u>two subjects</u>, based on interest, from the 11 available options within the Skill Development and Entrepreneurship course.

राष्ट्रीय महत्त्व के इस कार्य में सेवा-भाव, वैदिक आस्था एवं धार्मिक भावना से ही कार्य किए जाना चाहिये, कोई भी विवाद इत्यादि नहीं होना चाहिये। संबद्धता, मान्यता तथा परीक्षा के विषय में प्रभाव डालने हेतु बार बार पत्र लिखवाना, अनुदान देने हेतु पत्र भिजवाना, लिखवाना आदि व्यवहार को प्रतिष्ठान के गतिविधि में बाधा उत्पन्न करना माना जायेगा। योग्यता के आधार पर संबद्धता देना, आवश्यक अनुभव अथवा सुविधा न होने की स्थिति में संबद्धता नहीं देना, आर्थिक शुचिता (अधिक फीस या शुल्क छात्रों से वसूलने की स्थिति में) एवं अन्य कदाचार- गतिविधि में बाधा उत्पन्न करना आदि के कारण संबद्धता निरस्त करना, तथा उस संस्था की संबद्धता निरस्त कर छात्रों के हित में उन छात्रों का अन्यत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षा में सम्मिलित कराना आदि अधिकार प्रतिष्ठान के सचिव के पास रहेगा। आर्थिक कदाचार/आपराधिक गतिविधि को छोडकर अन्य किसी भी सामान्य विवाद उत्पन्न होने पर प्रथम अवसर पर 7 दिनों का नोटिस देकर आपसी चर्चा से विवाद सुलझाने का प्रयत्न होगा। सभी विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर ही रहेगा।

In this endeavor of national importance, all work must be done with a spirit of service, Vedic aastha, and dharmic bhavna, strictly avoiding disputes etc. Any attempt to influence affiliation, recognition, or examination processes through repeated correspondence, requests for grants, or similar actions will be deemed as hindrance to activities of Pratishthan. The Secretary, MSRVVP reserves the right to grant affiliation based on qualification or deny affiliation due to lack of necessary experience or facilities or cancel affiliation in cases of financial impropriety (e.g., charging excess fees from students) or other misconduct viz. creating hindrance in the activities of Pratishathan etc. and facilitate the transfer of affected students to alternative training and examination centre in their best interest. For any general disputes, excluding financial misconduct or criminal activity, a seven-day notice will be issued for an initial attempt for resolution through mutual discussion. For settlement of all disputes, jurisdiction will be Hon'ble High Court, Indore.

ऑनलाइन आवेदन दिनांक : दिनांक 05/07/2025 से दिनांक 15/07/2025 तक प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.msrvvp.ac.in पर भरे जा सकते हैं।

Online Application Date: The online application may be filled on the website of Pratishthan (www.msrvvp.ac.in) from 05/07/2025 to 15/07/2025.

आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क (आवेदन शुल्क +GST) रु. 5,000 + 900/- कुल- रु. 5,900/-

Application Processing Fee: (Application Fee +GST; Rs. 5,000 + 900/-) Total - Rs. 5,900/-

अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना-/ Other Important Information-

संबद्धता शुल्क- संबद्धता शुल्क (संबद्धता शुल्क+GST) –(बाद में जब भी चयन की सूचना होगी, भरना होगा)

Affiliation Fee- Affiliation Fee (Affiliation Fee + GST) – (To be paid after information regarding selection)

वार्षिक परीक्षा शुल्क : प्रति छात्र राशि रु. 500 /- (बाद में जब भी परीक्षा का आवेदन मांगा जाएगा भरना होगा)

Annual Examination Fee: Rs. 500/- per student (to be paid later whenever application for examination is sought)

प्रोसेसिंग शुल्क एवं वार्षिक परीक्षा शुल्क RTGS/NEFT द्वारा MSRVVP-MSRVSSB (महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदिवद्या प्रतिष्ठान-महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड), केनरा बैंक, चिन्तामण जवासिया, उज्जैन के खाता संख्या:-110102630290, IFSC कोड:- CNRB0005679 में देय रहेगा।

The processing fee and annual examination fee may be deposited through RTGS/NEFT to Account No.:-110102630290, IFSC Code:- CNRB0005679 in the name of MSRVVP-MSRVSSB (Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan- Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board) in Canara Bank, Chintaman Jawasia, Ujjain.

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाऌ)

सचिव

संलग्नक : कौशल विकास एवं उद्यमिता पाठ्यक्रमों के कुल 11 विषय-सूची एवं पाठ्यक्रम की लिंक ।

Encl: Links to Table of contents for total 11 and Skill Development and Entrepreneurship courses.

प्रतिलिपि / Copy to:

(1) सहायक निदेशक, मसारावेविप्र, उज्जैन/ Assistant Director, MSRVVP, Ujjain

- (2) प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेदपाठशालाओं/इकाइयों/रा.आ.वे.वि. में अध्ययनरत छात्रों/अध्यापकों की सूचनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।/For publication on the website of the Pratishthan for information of teachers or students studying in all financially aided Veda Pathshalas/GSP Units/RAVVs of the Pratishthan.
- (3) कार्यालय आदेश पत्रावली। / Office Order File.

Link for Skill Development Courses and Syllabus etc.

Sr.No	Qualification Name	Link of Supporting Documents
1.	AYURVEDA EVAM VANAUSHADHI - KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10008
2.	YOGA PRASHIKSHAN - KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10016
3.	VASTUSHASTRA - KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10020
4.	JYOTISH SHASTRA – KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10022
5.	TEMPLE MANAGEMENT-KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10024
6.	PUJA VIDHANA / PAUROHITYA	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10025
7.	SHRAUTA YAJNA - KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10027
8.	SMARTA YAJNA - KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10030
9.	VEDA SHASTRA PRAVACHAN KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10032
10.	VEDIC GANIT - KANISHTHA SHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10034
11.	VEDIC SANSKAR – KANISHTHA SAHAYAK	https://www.nqr.gov.in/qualifications/10035

- नोट : (1) किसी भी पाठ्यकम में प्रवेश हेतु NCVET द्वारा मान्य न्यूनतम योग्यता ही मान्य रहेगी । इसी अनुसार संस्थाओं को पाठ्यकम / प्रशिक्षण प्रदान करना होगा ।
- Note: (1) For admission to any course, only the minimum qualification approved by NCVET will be valid. Accordingly, the institutions will have to provide courses / training.